

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां, जिला बारां

## कार्यालय आदेश


श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के अनुसरण में राज्य सरकार के पत्रांक 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.05.2016 के क्रम में पृष्ठांकित सूची में तृतीय वेतन श्रृंखला शाशि-III का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शाशि-III पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इनका वेतन माह जून 2017 से समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।


समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 12.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान/बीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा आदेश के अनुसार इनकी सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट कर इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

  
( पांचुराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

क्रमांक: जिशिअ/मा/बारां/संस्था-1/फा.-तृ.श्री.शाशि-III समायोजन/2017/882 दिनांक : 03.06.2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बारां/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी .....
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


  
( पांचुराम सैनी )  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक)बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां

आदेश संख्या - 01

क्रमांक:-जि.शिक्षा/मा/बारां/संस्था-1/तृ.श्रे.शाशि-गा/समायोजन/2017/ 802 दिनांक : 03.06.2017

क्र.सं.	नाम	ब्लॉक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जेन्डर M/F	जन्मतिथि	पदनाम
1	रविन्द्र शर्मा	अन्ता	राउमावि मांगरोल	रामावि भावगढ	अन्ता	M	16/12/1959	शाशि-गा
2	सुनिता भार्गव	छबडा	राबाउमावि छबडा	रामावि कडैयावन	छबडा	F	05/01/1968	शाशि-गा
3	शिल्पी सिंह	अन्ता	राउमावि अन्ता	रामावि धोडीगाँव	अन्ता	F	09/07/1983	शाशि-गा
4	अब्दुल हकीम पठान	अन्ता	राउमावि सीसवाली	रामावि कूण्डला	अन्ता	M	10/07/1963	शाशि-गा

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) बारां